

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 78

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2016-2017			बजट 2017-2018			संशोधित 2017-2018			बजट 2018-2019		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
वसूलियां
प्राप्तियां
निवल	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	5.00	...	5.00	5.22	...	5.22	6.57	...	6.57	5.49	...	5.49
2. अन्य	0.08	...	0.08	0.01	...	0.01	0.08	...	0.08
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
कुल जोड़	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
ख. योजना परिव्यय												
सामान्य सेवाएं												
1. राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
जोड़-सामान्य सेवाएं	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57
कुल जोड़	5.00	...	5.00	5.30	...	5.30	6.58	...	6.58	5.57	...	5.57

2. **अन्य:** यह मांग उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान सहित उपराष्ट्रपति के व्यय का प्रावधान है।

1. **सचिवालय:** यह मांग उपराष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ के यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और आकस्मिक व्यय सहित उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ पर व्यय की व्यवस्था के लिए है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं.77 से प्रदान किया जाता है।